**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4115**
**दिनांक 19 दिसंबर, 2024**

**असम में बोंगाईगांव तेल शोधनशाला की क्षमता में वृद्धि**

**4115. श्री दिलीप शइकीया:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपतटीय तेल भंडारों की खोज के संबंध में नए कानून पारित करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए कानूनों का उन क्षेत्रों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है जिन्हें तेल की खोज के लिए पहले ''नो गो'' जोन के रूप में नामित किया गया था;

(ग) क्या सरकार का असम स्थित बोंगाईगांव तेल शोधनशाला की क्षमता को बढ़ाकर 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त तेल शोधनशाला की क्षमता कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) और (ख): सरकार ने तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश की आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य और लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, निवेशकों के अनुरूप वातावरण सृजन करना, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना, स्थिरता सुनिश्चित करना, ऊर्जा बदलाव संबंधी मुद्दों का निवारण करना, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन कार्यतंत्र प्रदान करना, पूर्व में नामोदिष्ट ''नो-गो'' क्षेत्रों में प्रदान किए गए ब्लॉको सहित सभी प्रकार के हाईड्रोकार्बनों के विकास और उत्पादन में सहायता करना आदि। सितंबर 2022 तक, 1,366,708 वर्ग कि. मी. (कुल अपतट क्षेत्र का 57%) 'नो-गो' क्षेत्र के ओवरलेप के साथ, अपतट क्षेत्र अन्वेषण और उत्पादन प्रचालन के लिए प्रतिबंधित था। सरकार ने ''नो-गो'' को घटाकर 24,832 वर्ग कि. मी. कर दिया है जिससे अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों के लिए तत्कालीन नो-गो क्षेत्र को ~99% तक खोल दिया गया है।

(ग) और (घ): इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने बोंगाईंगांव रिफाइनरी की मौजूदा 2.7 एमएमटीपीए क्षमता को 5.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता तक बढ़ाने के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है। इस संबंध में निवेश संबंधी कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

****